

2026/24

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 130 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	50	14 खसरा किता 25	1-100 8-7630	हिन्दू पुग बाबू भारति - गारामिया सा. देव खानेदार रहन - रामस्थान महेशा गारामिया बैंक शाखा साबुगाड	हिन्दू पुग बाबू भारति - गारामिया सा. देव खानेदार रहन - रामस्थान गारामिया बैंक शाखा साबुगाड	

मुताबिक मिसल जमानदी सन्वत् 2021 (2078 धर्माब्द) 2076 (1919) के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलपर के समक्ष श्रवण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट प्रदयारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।

प०हल्का व्यापारिया
भू०अ०नि० होगाबाद
को रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण पन्दोबस्त सक्रियताओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलपर को सादर प्रेषित है।

प०हल्का व्यापारिया
भू०अ०नि० होगाबाद
राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमानदी में जमत किया जाये।

दिनांक 19/12/2024
ह० उपखण्ड अधिकारी
महोदय अलपर

दिनांक 19/12/2024
ह० भू०अ०नि०
होगाबाद

ह० राजस्व अधिकारी
ह० उपखण्ड अधिकारी
तहसीलदार आवूरोहूपखण्ड अधिकारी
जिला-सिरोही उपखण्ड कार्यालय, आवूरो